अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 48 / 2013

राजेन्द्र पाण्डेय, पंचायत–अपहर, प्रखंड–अमनौर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 2626 दिनांक 02.08.2013 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 07.05.2013 को विक्रेता व्यापार स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कम में विक्रेता की दूकान संबंधित निम्नांकित अनियमितताए पाई गई– 1. लाभूकों की सूची प्रदर्शित नही। 2. संयुक्त सूचना प्रदार्शित नहा। 3. निरीक्षण / शिकायत पंजी का संधारण नही। 4. कैशमेमों नही देना। 5. माप–तौल संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाना। 6. उठाव एवं वितरण की सूचना निगरानी/ समिति को न देना न इसके समक्ष वितरण करना। 7. राशन / किरासन तेल का वितरण निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में देकर निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की जाती है। 8. निरीक्षण के कम में किरासन तेल भण्डार जीज के अनुसार 332.50 लीटर अवशेष पाया गया, जबकि भण्डार सत्यापन में 427 लीटर किरासन तेल उपलब्ध था इस प्रकार 94.50 लीटर किरासन तेल अधिक पाए जाने का औचित्य क्या है? इसी प्रकार खाद्यान्न के भण्डार एवं वितरण में भी अनियमितताए पाई गई है। अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 1636 दिनांक 09.05.2013 से विक्रेता से उक्त	

अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 2626 दिनांक 02.08.2013 से विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विकेता के द्वारा उपभोक्ताओं की सूची प्रदर्शित की गई थी, लेकिन किसी शरारती तत्वों के द्वारा उसे फाड़ दिए जाने के कारण जॉच पदाधिकारी नही देख पाए। खद्यान्न के संयुक्त नमूना उठाव के समय गोदाम से उपलब्ध नही कराया जाता है। आजतक निर्रीक्षण पंजी की कभी आवश्यकता नही हुई। इस कारण से नीरीक्षण पंजी संधारित नही किया गया था। विकेता के द्वारा शिकायत पंजी संधारित की गई है। विकेता के द्वारा उपभोक्ताओं को कैशमेमों दिया जाता है जिसकी छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न है। माप–तौल संबंधित प्रमाण पत्र दूकान पर उपलब्ध है। विकेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2626 दिनांक 02.08.2013) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विकेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को रिमांड किया जाता है कि वे विकेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे, शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित पूर्ण विवरणी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/1/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/1/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1580 /दिनांक 15/1/16/

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा

15/1/16